GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 77
ANSWERED ON 09/02/2021

ROOFTOP SOLAR POWER SYSTEMS IN JHARKHAND

*77#. SHRI DEEPAK PRAKASH

Will the Minister of New and Renewable Energy be pleased to state:

(a) whether Government has formulated any scheme and earmarked funds for the State of Jharkhand to promote the installation of rooftop solar power systems; and

(b) whether the energy produced by them has been used only for domestic needs in rural and urban areas of Jharkhand and, if so, the details thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE (I/C) FOR NEW & RENEWABLE ENERGY, POWER and MoS for SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(SHRI R.K. SINGH)

(a) & (b) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Statement as referred in reply to Rajya Sabha Starred Question no 77 due on 09.02.2021

Part (a)

To promote rooftop solar (RTS) in the country, the Ministry of New and Renewable Energy is implementing Rooftop Solar Programme Phase II throughout the Country including the state of Jharkhand. The Programme has two components as under:

- **Component A:** RTS capacity aggregating to 4000 MW is targeted in residential sector through provision of central financial assistance (CFA). The CFA upto 40% of the benchmark cost is provided for RTS projects upto 3 kW capacity and 20% for RTS system capacity beyond 3 kW and up to 10 kW for individual households. For Group Housing Societies/Residential Welfare Associations (GHS/RWA), CFA is limited to 20% for RTS plants for supply of power to common facilities maximum upto 500 kW capacity.

- **Component B:** Provision has been made to provide incentives to DISCOMs for achieving RTS capacity addition in a financial year above the baseline capacity as on 31st March of the previous year. No incentives for capacity addition up to 10% of baseline capacity, incentives up to 5% of the benchmark cost for capacity addition beyond 10% and up to 15%; and incentives up to 10% of the benchmark cost for capacity addition beyond 15%. Incentives are given for achieving initial 18000 MW capacity.

Capacity allocation under the Programme is based on the demand received from the States and therefore, no State-wise earmarking of funds has been made under the programme. Based on the demand received from the state DISCOMs of Jharkhand a total of 61.6 MW capacity has been sanctioned for installation in the residential sector under Component-A. So far no capacity installation is reported against the sanctioned capacity and no CFA has been released to Jharkhand under the programme.

Part (b)

The regulations issued by Jharkhand Electricity Regulatory Commission inter-alia provides for Net-metering arrangement where consumers installing rooftop solar can use the solar power generated from rooftop solar during sunshine hours for their own use and surplus solar power can be fed in to the grid, which can be adjusted against their consumption during non-sunshine hours. In case any additional surplus solar power is available after adjustment the same is considered as purchase by the DISCOM at tariff of Rs. 3.8 per kWh. The additional solar power fed into the grid can be used for supply of power to all categories of consumers including in rural and urban areas of the DISCOMs of the state.

*****

भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *77

मंगलवार, दिनांक 09 फरवरी, 2021 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>झारखंड में 'रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम' प्रणाली</u>

*77. श्री दीपक प्रकाशः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने झारखंड राज्य के लिए कोई 'रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम' प्रणाली तैयार की है तथा 'रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम' प्रणाली की संस्थापना को बढ़ावा देने के लिए झारखंड राज्य हेतु अलग से कोई धनराशि निर्धारित की है; और

(ख) क्या इसके द्वारा उत्पादित ऊर्जा का उपयोग झारखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में केवल घरेलू जरूरतों के लिए ही किया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

'झारखंड में 'रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम' प्रणाली' के संबंध में पूछे गए दिनांक 09.02.2021 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 77 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) देश में रूफटॉप सौर (आरटीएस) को बढ़ावा देने के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय झारखंड राज्य सहित देश भर में रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II का कार्यान्वयन कर रहा है। कार्यक्रम के दो घटक हैं, जो इस प्रकार है:

- घटक क: केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का प्रावधान करके रिहायशी क्षेत्र में कुल 4000 मेगावाट आरटीएस क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। व्यक्तिगत घरों के लिए 3 किलोवाट क्षमता तक की आरटीएस परियोजनाओं के लिए बैंचमार्क लागत के 40% तक सीएफए और 3 किलोवाट से अधिक तथा 10 किलोवाट तक की आरटीएस प्रणाली क्षमता के लिए 20% तक सीएफए प्रदान किया जाता है। समूह आवास सोसाइटियों/रिहायशी कल्याण एसोसिएशनों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सीएफए, अधिकतम 500 किलोवाट क्षमता तक की साझा सुविधाओं के लिए विद्युत की आपूर्ति हेतु आरटीएस संयंत्रों के लिए 20% तक सीमित है।
- घटक ख: विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में बेसलाइन क्षमता से अधिक आरटीएस क्षमता बढ़ाने के लिए डिस्कॉमों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है। बेसलाइन क्षमता के 10% तक क्षमता बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं, 10% से अधिक और 15% तक क्षमता बढ़ाने के लिए बैंचमार्क लागत के 5% तक प्रोत्साहन और 15% से अधिक क्षमता बढ़ाने के लिए बैंचमार्क लागत के 10% तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रारंभिक 18000 मेगावाट क्षमता हासिल करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

कार्यक्रम के तहत क्षमता का आवंटन राज्यों से प्राप्त मांग के आधार पर किया जाता है, अतः कार्यक्रम के तहत कोई भी राज्य-वार निधियां नियत नहीं की गई हैं। झारखंड राज्य के डिस्कामों से प्राप्त मांग के आधार पर, घटक-क के तहत रिहायशी क्षेत्र में स्थापना के लिए कुल 61.6 मेगावाट क्षमता स्वीकृत की गई है। स्वीकृत क्षमता में से अभी तक कोई भी क्षमता स्थापित किए जाने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और कार्यक्रम के तहत झारखंड को कोई भी सीएफए जारी नहीं की गई है।

(ख) झारखंड विद्युत नियामक आयोग जारी किए गए विनियमों में अन्य के साथ-साथ नेट मीटरिंग व्यवस्था के लिए प्रावधान है, जहां रूफटॉप सौर की स्थापना करने वाले उपभोक्ता धूप के समय के दौरान रूफटॉप सौर से उत्पन्न सौर विद्युत का उपयोग अपने स्वयं के उपयोग के लिए कर सकते हैं और सरप्लस सौर विद्युत को ग्रिड में भेज सकते हैं, जिसे धूप के समय के दौरान उतनी खपत में समायोजित किया जा सकता है। यदि समायोजन के बाद कोई अतिरिक्त सरप्लस सौर विद्युत उपलब्ध हो तो उसे 3.8 रु. प्रति किलोवाट घंटे के टैरिफ पर डिस्कामों द्वारा खरीदा गया माना जाता है। ग्रिड को भेजी गई अतिरिक्त सौर विद्युत का उपयोग, राज्य के डिस्कॉमों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की आपूर्ति हेतु किया जा सकता है।

*****

श्री दीपक प्रकाश: माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने और देश के समावेशी विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें Clean Energy एवं नवीकरण ऊर्जा का और भी अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। मंत्री जी का जो उत्तर आया है, वह वास्तव में बहुत सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं अपनी ओर से उन्हें अभिनन्दन अर्पित करता हूं।

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री दीपक प्रकाश : मेरा सवाल झारखंड के सन्दर्भ में है कि वहां कितने परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है, कितने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं? मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि इस योजना के लिए झारखंड सरकार को कितनी अनुदान राशि प्राप्त हुई है? साथ ही इस ओर...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: नहीं, सप्लीमेंटरी का मतलब सिर्फ एक ही प्रश्न होता है, आपने दो प्रश्न पूछ लिए हैं।

श्री राज कुमार सिंह: माननीय सभापति महोदय, झारखंड में अभी तक कुल मिलाकर 29 मेगावॉट क्षमता की स्थापना हुई है, जो देश के अन्य राज्यों में हुई स्थापना के बनिस्बत कम है। अन्य राज्यों में इससे कहीं अधिक स्थापना हुई है। अभी फेज़-1 में यहां कम क्षमता की स्थापना हो पाई है और फेज़-2 का प्रोग्राम अभी वहां प्रारम्भ ही नहीं हुआ है। हमारे पास इसकी capacity के आंकड़े तो हैं, लेकिन number of beneficiaries के आंकड़े नहीं हैं। ये आंकड़े भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। Capacity के हिसाब से अभी तक वहां सिर्फ 29 मेगावॉट की स्थापना हुई है। हालांकि झारखंड की पॉलिसीज़ अच्छी हैं, खासकर उन्होंने जो rooftop की पॉलिसी बनाई, वह बहुत अच्छी है, लेकिन अभी इन पॉलिसीज़ को तत्परता से लागू करने की आवश्यकता है। हम जो इसमें फेज़-2 के प्रोजेक्ट्स लाए हैं, उनको अभी उन्होंने वहां प्रारम्भ ही नहीं किया है। फेज़-2 में हमने उनको करीब 60 मेगावॉट का टारगेट दिया है। इसमें से 5 मेगावॉट का आवेदन उनके पास आ भी गया है, लेकिन अभी तक टेंडर करके उन्होंने रेट फाइनल नहीं किया है।

श्री दीपक प्रकाश : महोदय, जो राशि वहां दी गई है, केन्द्र सरकार की ओर से उसका नीतिगत नियन्त्रण करने के लिए क्या कोई monitoring system भी है? कृपया माननीय मंत्री जी यह बताने का भी कष्ट करें कि इस योजना के तहत भविष्य में आप कितनी राशि उपलब्ध करवाएंगे?

श्री राज कुमार सिंह : महोदय, हम लोगों ने फेज़-1 के अगेंस्ट झारखंड को अभी 18 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें उन्होंने 29 मेगावॉट क्षमता के प्रोजेक्ट की स्थापना की है। फेज़-2 के अगेन्स्ट में उन्होंने कोई अचीवमेन्ट किया ही नहीं, इसीलिए तत्काल अभी कोई राशि उन्हें देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नरहरी अमीन: आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने रूफटॉप सोलर पावर पॉलिसी के अंतर्गत गुजरात में शैक्षणिक संस्थानों, ओल्ड एज होम्स, चैरिटेबल ट्रस्ट और सामाजिक संस्थानों के लिए सब्सिडी देने का प्रावधान किया है? यदि हां, तो उसके डिटेल्स देने की कृपा करें और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

श्री राज कुमार सिंह: सर, हम लोगों ने रूफटॉप फेज़-2 के अंतर्गत डोमेस्टिक सैक्टर के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया है। यदि तीन किलोवॉट से कम की क्षमता है, उसके लिए सब्सिडी का प्रावधान 40 प्रतिशत है और 3 किलोवॉट से 10 किलोवॉट तक सब्सिडी का प्रावधान 20 प्रतिशत है। जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके लिए सब्सिडी का प्रावधान 20 प्रतिशत है, लेकिन कमर्शियल सैक्टर्स वगैरह के लिए हम लोगों ने सब्सिडी का प्रावधान नहीं किया है।

महोदय, मैं झारखंड के बारे में फिगर्स को करेक्ट करना चाहता हूं। मैंने दूसरे राज्य की फिगर्स पढ़ दी हैं। झारखंड में हम लोगों ने फेज़-1 के समय में 12 करोड़ 71 लाख रुपये दिये थे और फेज़-2 में हमने उन्हें 2 करोड़ 30 लाख रुपये का एडवांस दिया है, लेकिन उसमें अभी तक उन्होंने कोई इंस्टालेशन प्रारम्भ नहीं किया है।

श्री सभापति: श्री नरहरी अमीन जी ने गुजरात के संदर्भ में स्पेसिफिकली पूछा है।

श्री राज कुमार सिंह: गुजरात को हमने 293 करोड़ रुपये की निधि दी है और गुजरात अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी अधिक संख्या में रूफटॉप लगा रहा है। हमारे पास जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार गुजरात में करीब 500 मेगावॉट से अधिक की रूफटॉप लग गई हैं, तो रूफटॉप में गुजरात काफी तेज़ी से काम कर रहा है।

MR. CHAIRMAN: Next question, Shri Manas Ranjan Bhunia - absent. Any supplementaries?